प्रकरण संख्या 2/2020 सरकार बनाम श्रीमती तुलसी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माडा में विपक्षी संख्या 1 के खाते की आराजी नंबर 328 से 332, 335 से 339, 356, 378, 517 व 524 कुल किता 14 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि है, जो अनुसूचित जनजाति की सदस्य है। विपक्षी संख्या 3 अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, के नाम से छदम नाम से विपक्षी संख्या 2 अनुसूचित जनजाति के नाम से भूमि क्रय की, जिसकी प्रतिफल राशि विपक्षी संख्या 3 द्वारा अदा की गयी एवं कब्जा भी विपक्षी संख्या 3 का है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति की भूमि पर गैर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति काबिज होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः विवादित आराजियात से विपक्षी संख्या 2 व 3 को बेदखल कर भूमि राजसात की जावे। प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 5 तनकियात कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 05.12.2014 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विवादित भूमि से बेदखल कर भूमि बिलानाम घोषित की। उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर विपक्षीगण द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 03.01.2017 को स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः हस्तान्तरण/कब्जे के स्टेटस की जांच कर नये सिरे से निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। पत्रावली रिमाण्ड होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 06.01.2019 को वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक [illegible].2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाण्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पाण्डेन्टगण की ओर से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:47 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक श्री सौरभ पटेल व एच. भण्डारी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त होने के कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः अपील मयाद में शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर बहस के दौरान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों का सही विवेचन नहीं किया है। अनुसूचित जनजाति की भूमि पर गैर अनुसूचित जनजाति के सदस्य का कब्जा होने तथा प्रतिफल की राशि भी गैर अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा अदा किये जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42–बी का स्पष्ट उल्लंघन है। अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट का सही अवलोकन नहीं कर विपक्षी संख्या 3 का कब्जा नहीं मानकर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 में विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम अंकित है एवं कैफियत में जरिये नामान्तकरण संख्या 1774 से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 का नाम अंकित है। इस संबंध में अपीलान्ट का कथन है कि विवादित भूमि का प्रतिफल रेस्पोन्डेन्ट संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:47 IST
Reason: Self Attested

2 द्वारा अदा नहीं किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 द्वारा अदा किया गया है एवं कब्जा भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 का है जो गैर अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अनुसूचित जनजाति की सदस्य है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42–बी का स्पष्ट उल्लंघन है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 का नहीं मानकर जो निर्णय पारित किया है, वह त्रुटि पूर्ण है।

पत्रावली का अवलोकन करने पर हमने पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने जिस पर्चा मौका दिनांक 15.04.2018 के आधार पर तनकी नंबर 1 का निर्णय वादी/अपीलान्ट के विरूद्ध किया है, उसमें स्पष्ट अंकित है कि कुछ आराजियात को छोड़कर शेष आराजियात पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 ताराचन्द लबाना का कब्जा होकर काश्त कर रहा है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने ताराचन्द लबाना के कब्जे का कोई पुख्ता प्रमाण वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाना मानते हुए उक्त तनकी वादी/अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णित कर दी एवं उक्त आधार पर अन्य तनकियों का निर्णय करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जो उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 22/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पुनः उभयपक्षों एवं मौतबीरानों की उपस्थिति में कब्जे बाबत् रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.11.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:47 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर